**दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली**

**निर्णय सुरक्षित : 07 अगस्त, 2024**
**निर्णय उद्घोषित : 03 अक्टूबर, 2024**

अव.वा.(सि.) 77/2024 और सि.वि. आ. 2977/2024

डॉ. प्रवीण सिंह .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री राकेश खन्ना वरि.अधि. के साथ श्री आदित्य पी. खन्ना और श्री राम्या खन्ना अधिवक्तागण

बनाम

डॉ. आशीष गोयल और अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री अनुज अग्रवाल, सहा.स्था.अधि.-जी.एन.सी.टी.डी. के साथ श्री सिद्धांत दत्त प्र.-1 और प्र.-2 के लिए अधिवक्तागण

**कोरम:**
**माननीय न्यायमूर्ति श्री धर्मेश शर्मा**

**<u>निर्णय</u>**

1. वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता द्वारा न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 की धारा 11 के तहत दायर की गई है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16.11.2023 को रि.या.(सि.) संख्या 4349/2022 शीर्षक "डॉ. प्रवीण सिंह बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार और अन्य" में पारित निर्देशों की कथित जानबूझकर अवज्ञा के लिए प्रत्यर्थीगण/अवमाननाकर्ताओं के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई है।

2. अनावश्यक विवरणों से दूर, याचिकाकर्ता डॉ. प्रवीण सिंह, जो एक हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल (आर.जी.एस.एस.एच.), दिल्ली में कैथ प्रयोगशाला और हृदय रोग विभाग के पूर्व प्रमुख हैं। 09.03.2022 को, याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी सं.2./रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा बर्खास्तगी आदेश दिया गया था, इसके बाद, याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी सं. 1/राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल द्वारा दिनांक 10.03.2022 को सेवा से मुक्त का आदेश दिया गया।

3. इससे आहत होकर, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहतों की मांग करते हुए एक रिट दायर किया:

> "(i) प्रत्यर्थी सं.1 द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या एफ.सं.1/22/ए.डी.एम.एन./एस.ओ.सी./आर.जी.एस.एस.एच./2022/2514-2520 दिनांक 09.03.2022 और (ii) प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या एफ.सं.1/22/ए.डी.एम.एन./एस.ओ.सी./ आर.जी.एस.एस.एच./20221180-184 दिनांक 10.03.2022 को अभिखंडित करने के लिए उत्प्रेषण रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट/निर्देश/आदेश जारी करें, जिसके द्वारा प्रत्यर्थीगण ने प्रत्यर्थी सं. 2 अस्पताल के सहायक प्रोफेसर (हृदय रोग) के रूप में याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त कर दी है;

(ii) उत्प्रेषण रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट/निर्देश/आदेश जारी करें जिसमें प्रत्यर्थी को याचिकाकर्ता के कार्यकाल को आगे की अवधि के लिए बढ़ाने का आदेश जारी करने का निर्देश दिया जाए;

(iii) वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई अन्य आदेश(शों) पारित करें जो यह माननीय न्यायालय उपयुक्त और उचित समझे।"

4. इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 16.11.2023 के आदेश द्वारा उपरोक्त रिट का फैसला किया, तथा निर्देशों के प्रभावी भाग को उद्धृत करना प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार हैं:

"44. तदनुसार, प्रत्यर्थी नं. 1 और प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा क्रमशः 9 मार्च 2022 और 10 मार्च 2022 के आक्षेपित आदेश को इस आधार पर अपास्त किया गया है कि प्रत्यर्थी सं. 1 ऐसा निर्णय लेने के लिए सशक्त सक्षम प्राधिकारी नहीं है। अतः, प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा याचिकाकर्ता को बर्खास्त करने की कार्रवाई अमान्य है।

46. तथ्यों और विधि की उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान रिट याचिका की अनुमति दी जाती है।

47. इसमें यह उल्लेख करना उचित है कि इस न्यायालय का आदेश विधि के अनुसार, यदि कोई हो, कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रास्ते में नहीं आएगा।"

5. हालांकि, यह उल्लेख करना उचित है कि एकल न्यायाधीश ने कार्यवाही के दौरान, दिनांक 05.12.2022 के आदेश के द्वारा बर्खास्तगी आदेशों के प्राधिकार और प्रक्रिया संबंधी अनुपालन के बारे में सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट मांगी। शासी परिषद

["**जी.सी.**"] की दिनांक 26.12.2022 की बैठक का संज्ञान लेते हुए, "आर.जी.एस.एस.एच." के जी.सी. ने पुष्टि की कि बर्खास्तगी के आदेश उचित प्राधिकार के बिना जारी किए गए थे और तत्कालीन अस्पताल निदेशक द्वारा जाली और गलत तरीके से प्रस्तुत किए गए तथ्यों पर आधारित थे, जिन्हें बाद में उन्हीं मुद्दों पर निलंबित कर दिया गया था।

6. नतीजतन, दिनांक 16.11.2023 के आदेश के द्वारा, न्यायालय ने दिनांक 09.03.2022 और 10.03.2022 बर्खास्तगी और सेवा से मुक्त करने के आदेश दोनों को अभिखंडित कर दिया, जबकि प्रत्यर्थीगण को उचित प्रक्रिया और लागू नियमों के अनुसार याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई शुरू करने की स्वतंत्रता प्रदान की, जिसमें सी.सी.एस. आचरण नियम और सी.सी.एस. (सी.सी.ए.) नियम शामिल हैं।

7. वर्तमान याचिका में, याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसने 30.11.2023 को एक पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें प्रत्यर्थीगण से उसने अपने पद पर पुनः रखने की अनुमति देने का अनुरोध किया था, जिसे दिनांक 02.12.2023 संसूचना के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने 03.12.2023 को प्रत्यर्थीगण को अवमानना का नोटिस जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनके इनकार ने इस न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा और अवहेलना

की है, और इसका जवाब दिनांक 07.12.2023 के पत्र के द्वारा दिया गया, लेकिन न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं किया गया।

**<u>न्यायालय में प्रस्तुत विधिक प्रस्तुतियाँ:</u>**

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दिनांक 09.03.2022 का बर्खास्तगी आदेश और दिनांक 10.03.2022 के सेवामुक्ति के पत्र अवैध, पिछली तारीख का और सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुष्टि के बिना जारी किए गए थे। ये आदेश तब पारित किए गए थे जब याचिकाकर्ता सक्रिय रूप से अस्पताल में अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा था। इसके अलावा, प्रत्यर्थीगण ने 16.11.2023 के इस न्यायालय के निर्णय के बावजूद, जिसमें सेवा समाप्ति आदेश और सेवा-मुक्ति के आदेश को अभिखंडित कर दिया गया था, निर्णय का पालन करने से इनकार कर दिया। प्रत्यर्थी नं. 1 ने याचिकाकर्ता को काम पर रखने की अनुमति देने से इनकार करते हुए दिनांक 02.12.2023 को पत्र जारी किया और अधीनस्थ अधिकारियों को भी अनुपालन के लिए निर्देश दिया। प्रत्यर्थीगण ने याचिकाकर्ता की बहाली से इनकार करना जारी रखा, उसी शासी परिषद के फैसलों का हवाला देते हुए जिसे न्यायालय ने पहले ही खारिज कर दिया था।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी आग्रह किया है कि प्रत्यर्थी सी.सी.एस. (सी.सी.ए.) नियमों के अनुसार विधि की उचित प्रक्रिया का पालन

करने में विफल रहे, और इसके बजाय उन्हें पुनः काम पर रखने से रोकने के लिए तुच्छ आधार गढ़े गए। ***डी.के.सी. बनाम के.सी. और अन्य, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बनाम प्रवर्तन निदेशालय और एस. एस. राठौर बनाम मध्य प्रदेश राज्य*** पर दिए गए निर्णय पर भरोसा किया गया है।

10. इसके विपरीत, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता का संविदा दिनांक 09.03.2022 को बर्खास्तगी आदेश से नौ दिन पहले 28.02.2022 को समाप्त हो गया; और यह कि उनकी संविदात्मक सेवा को उस तारीख से आगे नहीं बढ़ाया गया था, और इसलिए, तकनीकी आधार पर आदेश को अपास्त करना याचिकाकर्ता को संविदा के स्वतः नवीनीकरण या बहाली का हकदार नहीं बनाता है। यह प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 16.11.2023 के निर्णय ने केवल इस आधार पर बर्खास्तगी आदेश को अपास्त किया था कि क्योंकि यह एक अक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया था। इसने याचिकाकर्ता के संविदा के नवीनीकरण करने का आदेश नहीं दिया। शासी परिषद को बर्खास्तगी आदेश जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में निर्धारित किया गया था, और शासी परिषद के निर्णय को प्रत्यर्थीगण द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। याचिकाकर्ता ने शासी परिषद की दिनांक 26.12.2022 के बैठक के कार्यवृत्त को चुनौती नहीं दी, जिसके नवीनीकरण के लिए दिल्ली पुलिस और डी.एम.सी. से मंजूरी की आवश्यकता थी।

**<u>विश्लेषण और निर्णयः</u>**

11. मैंने न्यायालय में प्रतिद्वंद्वी पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर गहन विचार किया है और मैंने उद्धृत निर्णयज विधि सहित अभिलेख पर के प्रासंगिक सामग्री को भी देखा है।

12. प्रारम्भ में प्रत्यर्थीगण की ओर से इस न्यायालय के निर्देशों की कोई जानबूझकर, या धृष्टतापूर्ण अवज्ञा प्रतीत नहीं होती है। पूरे फैसले को विशेष रूप से दिनांक 16.11.2023 के निर्णय के उपरोक्त पैराग्राफ (44), (46) और (47) को ध्यानपूर्वक अवलोकन करने से पता चलता है कि याचिकाकर्ता की सेवा समाप्ति को तकनीकी आधार पर अपास्त किया गया था क्योंकि यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया था, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के मुख्य सचिव थे।

13. फिर भी, न्यायालय ने दिनांक 16.11.2023 के उपरोक्त आदेश को पारित करते हुए, पैराग्राफ (42) के द्वारा स्पष्ट रूप से आवश्यक शर्तों की पूर्ति के आधार पर याचिकाकर्ता के रोजगार के संबंध में निर्णय लेने के लिए शासी परिषद के अधिकार को मान्यता दी। याचिकाकर्ता के संविदा के स्वतः नवीनीकरण के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा कोई निर्देश नहीं दिया गया था और यह रिकॉर्ड से पता चलता है कि शासी परिषद ने दिनांक 26.12.2022 की अपनी बैठक में निर्णय लिया था कि याचिकाकर्ता को नवीनीकरण के लिए दिल्ली पुलिस और दिल्ली

चिकित्सा परिषद से मंजूरी की आवश्यकता है और चूंकि ऐसी कोई मंजूरी प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए याचिकाकर्ता को फिर से नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया गया था। यह कहने की कोई आवश्यकता है कि याचिकाकर्ता ने किसी भी विधिक आधार पर शासी परिषद के फैसले को चुनौती नहीं दिया है।

14. चाहे जो भी हो, यह प्राथमिक रूप से देखा जा सकता है, याचिकाकर्ता के पास 6 मई, 2014 को हुए अपने अनुबंध के नवीकरण की मांग करने का कोई निहित अधिकार नहीं था, जिसे विभिन्न समितियों द्वारा घोर लापरवाही के कारण हुए तीन रोगियों की मृत्यु के अलावा सहयोगी डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और रोगियों के साथ उसके दुर्व्यवहार की रिपोर्ट की पृष्ठभूमि में स्पष्ट रूप से नवीनीकृत नहीं किया गया था। यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि संविदा अवधि की समाप्ति पर, संविदा का नवीनीकरण नहीं करने का निर्णय तर्कसंगत, मूर्त और वस्तुनिष्ठ आधारों पर आधारित था। ***भारत संघ बनाम सतीश जोशी*** के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संविदा की अवधि समाप्त होने के बाद संविदा के नवीनीकरण का कोई अधिकार नहीं है और नियुक्ति प्राधिकारी को कारण बताओ सुचना जारी करने की कोई बाध्यता नहीं है।

15. अंत में, चूंकि प्रत्यर्थीगण द्वारा अपनाया गया रुख विशुद्ध रूप से दिनांक 16.11.2023 के आक्षेपित निर्णय में की गई टिप्पणियों की उचित विधिक व्याख्या पर आधारित है, जिसने शासी परिषद को उचित निर्णय लेने की शक्तियां प्रदान की

हैं, इसलिए स्पष्ट रूप से प्रत्यर्थीगण द्वारा न्यायालय के निर्देशों की जानबूझकर या सोच-समझकर अवज्ञा नहीं की गई है।

16. इस याचिका समाप्त करने से पहले, यह कहना पर्याप्त है कि ***डी.के.सी. बनाम के.सी. (पूर्वोक्त)*** के निर्णय का मुद्दे के मामलों पर कोई असर नहीं है क्योंकि यह एक ऐसा मामला था जहां अवमानकर्ता पिता ने न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना करते हुए बच्चे को मां को अभिरक्षा से वंचित करने के लिए बच्चे को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया था। ***स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बनाम प्रवर्तन निदेशालय (पूर्वोक्त)*** का उद्धृत मामला प्रासंगिक नहीं है क्योंकि यह एक ऐसा मामला था जिसमें एफ.ई.आर.ए. के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अपीलकर्ता बैंक के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी। जहाँ तक एस.एस. राठौर बनाम मध्य प्रदेश राज्य (पूर्वोक्त) पर भरोसा करने का संबंध है, यह एक ऐसा मामला है जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित प्रतिकूल आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने की समय-सीमा का मुद्दा निर्णय के लिए आया था। संक्षेप में, चूंकि संविदा की अवधि समाप्त हो गई थी, इसलिए सी.सी.एस. (आचरण नियम), 1964 के लागू होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है।

17. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अवमानना याचिका खारिज की जाती है।

18. लंबित आवेदन का भी निपटान किया जाता है।

**धर्मेश शर्मा, न्या.**

**03 अक्टूबर, 2024 S**
***सादिक***

*(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)*

***अस्वीकरण :*** *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*